निर्णय ब–इजलास संदेश नायक आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 49/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल मिश्रा, निवासी प्लाट नम्बर 36, शंकर नगर–ए, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नम्बर 1 के सामने, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 20, 21, राणा कॉलोनी, बलाई बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजेश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
2. श्रीमती खुशबू पत्नी राजेश शर्मा

प्लाट नम्बर 23, आकाश बिहार, चरण नदी, सरकारी स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 36, शंकर नगर–ए, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नम्बर 1 के सामने, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर

अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.09.2022 एवं 07.11.2024 विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 40/2022 ब–उनवानी जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम राजेश शर्मा व अन्य।

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रतिनिधि प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 30.04.2026

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 40/2022 ब–उनवानी जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम राजेश शर्मा व अन्य आदेश दिनांक 29.09.2022 एवं 07.11.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये समाचार पत्र प्रकाशित किये गये। प्रत्यर्थीगण बावजूद नोटिस प्रकाशन उपस्थित नहीं आये। तहत रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस अपीलार्थी सुनी सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधीकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण को मकान नम्बर 36, शंकर नगर–ए, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नम्बर 1 के सामने, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने एवं अपीलार्थी को शान्तिपूर्वक रहन सहन व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी व उसके अन्य परिवारजनों के साथ किसी प्रकार का झगडा, मारपीट, गाली गलौच, दुर्व्यवहार नहीं करने बाबत पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को पाबन्द किया जाकर प्लाट नम्बर 36, शंकर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नगर–ए, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नम्बर 1 के सामने, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर में अपीलार्थी के शान्तिपूर्ण रहन सहन व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें, ना ही उनके उक्त मकान से बेदखल करने की धमकी देगें। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के उक्त मकान से बेदखल किये जाने के आदेश पारित नहीं कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के उक्त मकान से बेदखल किये जाने के आदेश फरमावे।

अपीलार्थी प्रतिनिधि की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा भरण पोषण राशि प्राप्त करने की मंशा से प्रस्तुत नहीं कर केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल का अनुतोष चाहा गया है। संपति विवाद के लिये यह अधिकरण उचित माध्यम नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर प्रत्यर्थीगण को विवादित सम्पति से बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। संपति विवाद हेतु अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा धारा–16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निःशुल्क भेजी जावे। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुना गया ।

(संदेश नायक)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner